न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–123/2019

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0

शीर्षक

1. राजू पिता घीसु दमामी निवासी महेन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. सोनू पुत्री घीसु दमामी पत्नि किरत कुमार दमामी निवासी भावदा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
3. श्रीमती गोपाल पत्नि घीसु दमामी निवासी महेन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थीगण–––

बनाम

1. घीसु पुत्र जेठमल दमामी महेन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

विपक्षीगण–––

अन्तर्गत धारा–212 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक 29.11.2019

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम महेन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की सरहद में खाता संख्या 169 में अंकित आराजी संख्या 269 रकबा 0.27 हे0, 275 रकबा 0.21 हे0 , 277/1 रकबा 0.13 हे0, 278 रकबा 0.21 हे0, 2333 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 1.08 हे0 में प्रार्थी 1 व 2 के पिता व 3 के पति घीसु दमामी का 4/25 हिस्सा दर्ज रकार्ड है व आराजी संख्या 276 रकबा 0.03 हे0 में 3/25 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार खाता संख्या 216 में वर्णित आराजी संख्या 2645 रकबा 0.25 हे0 2646 रकबा 0.28 हे0, 2655 रकबा 0.30 हे0, 2660 रकबा 0.35 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 1.18 हे0 दर्ज रेकार्ड है जिसमें घीसु दमामी का 7/60 वां हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं इसी प्रकार खाता संख्या 447 में अंकित आराजी संख्या 2583 रकबा 0.18 हे0, 2584 रकबा 0.18 हे0, 2585 रकबा 0.15 हे0, 2601 रकबा 0.17 हे0 कुल किता 04 रकबा कुल रकबा 0.68 हे0 में घीसु दमामी का 3/25 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है प्रमाण में खाता संख्या 169, 216, 447 संवत् 2070 से 2073 की जमाबंदी संलग्न है।

यह है कि उक्तानुसार वर्णित आराजियाता जो पारिवारकि पुस्तैनी है में प्रार्थीगण का विपक्षी संख्या 01 के खाता संख्या 169 में वर्णित आराजियात में 4/25 में से 3/4 हिस्सा है, इसी प्रकार आराजी चाह संख्या 276 रकबा 0.03 हे0 मे विपक्षी संख्या 01 के 3/25 वें हिस्से में प्रार्थीगण का 3/4 हिस्सा है। इसी प्रकार खाता संख्या [illegible] अंकित आराजियात में विपक्षी संख्या 1 के 7/60 वे हिस्से में प्रार्थीगण का 3/4 हिस्सा [illegible] इसी प्रकार खाता संख्या 447 में वर्णित आराजियात में विपक्षी संख्या 01 के 3/25 [illegible] प्रार्थीगण का 3/4 हिस्सा है। लेकिन विपक्षी संख्या 01 प्रार्थीण के जायज हक व हिस्से को समाप्त करने के लिए [illegible] किसी [illegible] को अधिकार के प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात को विकय करने के लिए आमादा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:11:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

धमकी दी है की वो अतिशीघ्र प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियो को विक्रय करेगा एवं प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल करेगा जबकि विपक्षी संख्या 01 को ऐसी कोई जायज जरूरत भी नहीं है कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजियात को बिना प्रार्थीगण की सहमति के प्रार्थीगण की सहमति के प्रार्थीगण के हक व हिस्से को समाप्त करने के लिए विक्रय करे और प्रार्थीगण का हक व हिस्सा समाप्त करें।

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 01 मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात पर से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे एवं आराजियात को विक्रय , रहन , बय, बक्षीस नहीं करे विपक्षी संख्या 02 प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजियात के सबंध में किसी प्रकार से दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.11.2019 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षीगण नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षीगण संख्या 01 व 02 उपस्थित । वर वक्त सुनवाई प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित । प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने वर वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में की गई प्रार्थना के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने बाबत निवेदन किया। विपक्षी नं0 01 ने दौराने बहस स्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जाहिर की। विपक्षी संख्या 02 औपचारिक पक्षकार हैं अतः जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतः जवबादेही बंद की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत् निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। चूंकि प्रार्थीगण उमा के वारिसान होने से ग्राम महेन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की सरहद में खाता संख्या 169 में अंकित आराजी संख्या 269 रकबा 0.27 हे0, 275 रकबा 0.21 हे0 , 277/1 रकबा 0.13 हे0, 278 रकबा 0.21 हे0, 2333 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 1.08 हे0 में प्रार्थी 1 व 2 के पिता व 3 के पति घीसु दमामी का 4/25 हिस्सा दर्ज रकार्ड है व आराजी संख्या 276 रकबा 0.03 हे0 में 3/25 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार खाता संख्या 216 में वर्णित आराजी संख्या 2645 रकबा 0.25 हे0 2646 रकबा 0.28 हे0, 2655 रकबा 0.30 हे0, 2660 रकबा 0.35 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 1.18 हे0 दर्ज रेकार्ड है जिसमें घीसु दमामी का 7/60 वां हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं इसी प्रकार खाता संख्या 447 में अंकित आराजी संख्या 2583 रकबा 0.18 हे0, 2584 रकबा 0.18 हे0, 2585 रकबा 0.15 हे0, 2601 रकबा 0.17 हे0 कुल किता 04 रकबा कुल रकबा 0.68 हे0 में घीसु दमामी का 3/25 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला पाया जाता है तथा प्रार्थी उक्तानुसार हिस्से पर निरंतर कब्जा होने से सुविधा संतुलन का पक्ष भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। विवादित आराजियात का विपक्षी 01 के नाम पर दर्ज हो जाने से अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:11:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
महेन्द्रगढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रकरण संख्या :–123/2019
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है ग्राम महेन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की सरहद में खाता संख्या 169 में अंकित आराजी संख्या 269 रकबा 0.27 हे0, 275 रकबा 0.21 हे0 , 277/1 रकबा 0.13 हे0, 278 रकबा 0.21 हे0, 2333 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 1.08 हे0 में प्रार्थी 1 व 2 के पिता व 3 के पति धीसु दमामी का 4/25 हिस्सा दर्ज रकार्ड है व आराजी संख्या 276 रकबा 0.03 हे0 में 3/25 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार खाता संख्या 216 में वर्णित आराजी संख्या 2645 रकबा 0.25 हे0 2646 रकबा 0.28 हे0, 2655 रकबा 0.30 हे0, 2660 रकबा 0.35 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 1.18 हे0 दर्ज रेकार्ड है जिसमें धीसु दमामी का 7/60 वां हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं इसी प्रकार खाता संख्या 447 में अंकित आराजी संख्या 2583 रकबा 0.18 हे0, 2584 रकबा 0.18 हे0, 2585 रकबा 0.15 हे0, 2601 रकबा 0.17 हे0 कुल किता 04 रकबा कुल रकबा 0.68 हे0 में धीसु दमामी का 3/25 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है उक्त आराजियात से विपक्षीगण प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करे तथा रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें। बाद दाखला रजिस्टर के फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावती मूलवाद के साथ संग्रह की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:11:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner